सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फोर एक्सटेंशन रिफोर्म्स अन्तर्गत अन्तरविभागीय कार्यसमूह (आई०डी०डब्ल्यू०जी०) की सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांकः 17.06.2011 को आयोजित आठवीं बैठक की कार्यवाही

दिनांक 17.06.2011 को समेति, सभाकक्ष, कृषि भवन प्रांगण काँके रोड, राँची में सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फोर एक्सटेंशन रिफोर्म्स अन्तर्गत अन्तरविभागीय कार्यसमूह (आई०डी०डब्ल्यू०जी०) की आठवीं बैठक सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची-सह-अध्यक्ष, आई0डी0डब्ल्यू0जी0 की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों एवं आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

- सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
- सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड।
- कृषि निदेशक-सह-सचिव, आई0डी0डब्ल्यू0जी0, झारखण्ड, राँची।
- निदेशक, उद्यान, झारखण्ड, राँची।
- निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची।
- निदेशक, प्रसार शिक्षा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके, राँची।
- परियोजना निदेशक, आत्मा, पश्चिम सिंहभूम।
- परियोजना निदेशक, आत्मा, दुमका।
- राज्य समन्वयक (एक्सटेंशन रिफोर्म्स), झारखण्ड, राँची।
- संकाय सदस्य, सूचना प्रौद्योगिकी, समेति, झारखण्ड, राँची।
- संकाय सदस्य, कृषि प्रसार प्रबंधन, समेति, झारखण्ड, राँची।

बैठक में सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची ने सभी सदस्यों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची को एक्सटेंशन रिफोर्म्स की रूप-रेखा तथा योजना के अधीन राज्य के सभी जिलों की अद्यतन प्रगति एवं एक्सटेंशन रिफोर्म्स की आवश्यक गतिविधियों से अवगत कराने का निदेश दिया।

सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास ने सभी सदस्यों को सविस्तार योजना की प्रगति एवं बैठक में प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।

प्रस्ताव संख्या-01 : आई०डी०डब्ल्यू०जी० की सातवीं बैठक दिनांकः 16.09.2009 की कार्यवाही की अनुपालन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि के संबंध में।

आई०डी०डब्ल्यू०जी० बैठक दिनांकः 16.09.2009 मे लिए गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ उपस्थापित है **(अनु. पृ. 104-76/प.)**, जिसकी सम्पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या-02 : **घटनोत्तर स्वीकृति देने के संबंध में।**

(क) **पूर्व स्टेट नोडल पदाधिकारी (एक्सटेंशन रिफोर्म्स), श्री दीपक सिंह, श्री सुनील कुमार एवं वर्तमान कृषि निदेशक, श्री राजेश कुमार शर्मा को स्टेट नोडल पदाधिकारी (एक्सटेंशन रिफोर्म्स), झारखण्ड, राँची के पद पर योगदान को घटनोत्तर स्वीकृति देने के संबंध में**

– सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय आदेश संख्याः 1352 दिनांकः 12.04.2010 के अनुपालन में श्री दीपक सिंह द्वारा स्टेट नोडल पदाधिकारी

(एक्सटेंशन रिफोर्म्स), झारखण्ड के रूप में ज्ञापांकः 61 दिनांकः 13.04.2010 को पदभार ग्रहण किया गया था। श्री दीपक सिंह, विशेष सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास एवं कृषि निदेशक, झारखण्ड के स्थानान्तरण के उपरान्त विभागीय कार्यालय आदेशः 3130 दिनांकः 29.09.2010 के अनुपालन में श्री सुनील कुमार (भा.प्र. से.), कृषि निदेशक, झारखण्ड द्वारा ज्ञापांक संख्याः 79 दिनांकः 30.09.2010 के द्वारा स्टेट नोडल पदाधिकारी का पद भार ग्राहण किया गया। पुनः श्री सुनील कुमार के स्थानान्तरण के उपरान्त विभागीय कार्यालय आदेश कार्यालय आदेश संख्याः 463 दिनांकः 28.02.2011 के अनुपालन में श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा ज्ञापांकः 96 दिनांकः 28.02.2011 के द्वारा (अनु0 75-70/प.) राज्य नोडल पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया गया है, जिसका **घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान** की गयी।

(ख) **आत्मा जिले में कार्यरत नव नियुक्त उप परियोजना निदेशक तथा समेति, झारखण्ड में लेखा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी की संविदा आधारित सेवा** की घटनोत्तर स्वीकृति।

अन्तर विभागीय कार्यसमूह की दिनांक 19.09.2009 को आयोजित बैठक में उप परियोजना निदेशक, आत्मा की संविदा आधारित सेवा संबंधित प्रस्ताव संख्याः 19, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांकः 6069 दिनांकः 21.10.2009 तथा सू.ज.स.वि 3069 कृषि (09-10) दिनांकः 22.01.2009 तथा 3075 कृषि (09-10) दिनांकः 24. 10.2009 के आलोक में सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांकः 787 दिनांकः 25.01.2010 के द्वारा राज्य के सभी जिलों में उप परियोजना निदेशक, आत्मा का चयन करते हुए जिलावार अनुशंसित सूची उपलब्ध कराई गई थी, जिसके विरुद्ध सभी जिलों में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, आत्मा द्वारा संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त की जा रही हैं (जिलावार अनुबंध पर नियुक्त उप परियोजना निदेशक, आत्मा की सूची संलग्न)।

समेति, झारखण्ड के रिक्त पदों यथा लेखा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी के एकल पदों हेतु विभागीय अनुमोदन प्राप्त कर राज्य कार्यालयों से कार्यरत सेवानिवृत कर्मी का संविदा आधारित सेवाएँ ली जा रही हैं **(अनु.** पृ. 69-42/प.), जिसपर माननीय सदस्यों द्वारा **घट्नोत्तर स्वीकृति प्रदान** की गयी।

(ग) **समेति द्वारा प्रशिक्षण/कार्यशाला/परिभ्रमण/अन्य कार्यक्रम संबंधी** Training Calendar 2010-11 जिसका संचिका संख्याः 181/2010-11 में सचिव-सह-अध्यक्ष, अन्तरविभागीय कार्य समूह के द्वारा टि. संख्या 03 दिनांकः 30.07.2010 **(अनु.** पृ. 41-38/प.) पर दिये गये अनुमोदन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(घ) **वर्ष 2010-11 में पूर्ववर्ती 22 आत्मा, नवसृजित 02 आत्मा तथा समेति, झारखण्ड एवं मुख्यालय कोषांग का राज्यस्तरीय प्रसार कार्य योजना एवं उसकी लागत राशि रू० 2200.009 लाख मात्र का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा** पत्रांकः F No. 27-18/2010-AE दिनांकः 14.06. 2010 द्वारा प्रदत प्रशासनिक **(अनु.** पृ. 37-35/प.) के अनुसार योजना कार्यान्वयन की **घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान** की गयी।

(ङ) **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राज्य मद से चयनित विषय वस्तु विशेषज्ञ को पुनरीक्षित आत्मा स्कीम, 2010 अन्तर्गत मार्गदर्शिका (अनु.** पृ. 34-29/प.) **के अनुसार समायोजित करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।**

(च) **समेति, झारखण्ड के प्रशिक्षण, कार्यशाला के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्यस्तर पर गठित राज्यस्तरीय प्रशिक्षण समिति की घटनोत्तर स्वीकृति देने के संबंध में।**

संशोधित आत्मा स्कीम, 2010 विस्तारीकरण सुधार (Extension Reform) योजनान्तर्गत राज्यस्तरीय कृषि प्रबंधन, प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान (समेति, झारखण्ड) के प्रशिक्षण सफल कार्यान्वयन हेतु राज्यस्तर पर विभागीय कार्यालय आदेश संख्याः 2853 दिनांकः 07.09.2010 **(अनु0** 28-27/प.) के माध्यम से राज्यस्तरीय प्रशिक्षण समिति का गठन किया गया है।

आई0डी0डब्ल्यू0जी0 के माननीय सदस्यों द्वारा घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान करते हुए निदेश दिया गया कि प्रत्येक 3 (तीन) माह की अवधि पर राज्यस्तरीय प्रशिक्षण समिति का बैठक आयोजित किया जाय।

(छ) **सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फोर एक्सटेंशन रिफोर्म्स अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के राज्य प्रसार कार्य योजना एवं जिला प्रसार कार्ययोजना की घटनोत्तर स्वीकृति देने के संबंध में।**

सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फोर एक्सटेंशन रिफोर्म्स अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के राज्य प्रसार कार्य योजना एवं जिला प्रसार कार्ययोजना की घटनोत्तर स्वीकृति की प्रत्यासा में कुल 38.54392 करोड़ रूपये का कार्ययोजना राज्य नोडल पदाधिकारी के पत्रांकः 103 दिनांकः 14.05.2011 भारत सरकार को समर्पित किया गया है, जिसका आई0डी0डब्ल्यू0जी0 के माननीय सदस्यों द्वारा घटनोत्तर अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या-03 : पुनरीक्षित आत्मा स्कीम, 2010 के मार्गदर्शिका में अनुशसित विभिन्न पदों की न्यूनतम अहर्ता में छूट देने के संबंध में।

विस्तार सुधार इकाई, कृषि मत्रालय, भारत सरकार द्वारा सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फोर एक्सटेंशन रिफोर्म्स को संशोधित करते

हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत पुनरीक्षित आत्मा स्कीम, 2010 को राज्य में लागू करने का निदेश प्राप्त है, जिसके अन्तर्गत समेति एवं आत्मा जिले के निम्न विभिन्न पदों का प्रावधान करते हुए मानव बल को भारत सरकार के अनुशंसित अहर्ता के विरुद्ध छूट देने का प्रस्ताव है :

मार्गदर्शिका के उक्त प्रावधान के तहत पदों को भरने हेतु कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्याः 2711 दिनांकः 24.08. 2011 के द्वारा पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए पी.आर. संख्याः 36637 (कृषि) 10-11 के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया, प्रकाशित विज्ञापन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अहर्त्ता के अनुसार परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक, उप निदेशक के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण पदों के भरे जाने में कठिनाई हो रही है।

भारत सरकार के द्वारा Modified ATMA Scheme के मार्गदर्शिका में अंकित प्रावधान कंडिका 2.2 (Sub-Para-iii) **(अनु.** पृ. 26-25/प.)के अनुसार आई.डी.डब्ल्यू.जी. को योग्यता में छूट देने संबंधी निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है।

वर्णित प्रावधान के अनुसार निम्न प्रकार प्रावधान में छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गयी :

पुनरीक्षित आत्मा स्कीम, 2010 अन्तर्गत छुट के लिए प्रस्तावित विवरणी

पद	मार्गदर्शिका के अनुरूप		प्रस्तावित छूट	
	अहर्ता	अनुशंसित अनुभव	अहर्ता	अनुशंसित अनुभव
I उप निदेशक/ संकाय				
1. सूचना प्रौद्योगिकी	संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर	वेतनमान 15600-39100+ 5400 के पद पर कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव	सूचना प्रौद्योगिकी (MCA) में स्नातकोत्तर तथा पी0जी0डी0ए0ई0एम0 उत्तीर्ण	प्रतिष्ठित, अनुभवी, ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय संस्थान में प्रशिक्षण देने/ परियोजना कार्यान्वयन एवं तैयार करने का कम से कम 4 वर्ष का कार्य अनुभव
2. कृषि प्रसार प्रबंधन	कृषि प्रसार प्रबंधन में स्नातकोत्तर	वेतनमान 15600-39100+ 5400 के पद पर कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव	कृषि प्रसार प्रबंधन (M.Sc. Agril) में स्नातकोत्तर तथा पी0जी0डी0ए0ई0एम0 उत्तीर्ण	प्रतिष्ठित, अनुभवी, ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय संस्थान में प्रशिक्षण देने / परियोजना कार्यान्वयन एवं तैयार करने का कम से कम 4 वर्ष का कार्य अनुभव
3. एच.आर.डी., 4.एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, 5. उद्यान, 6. कृषि एवं संबद्ध, 7. संकलन एवं प्रकाशन, 8. मास कम्यूनिकेशन	संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर	वेतनमान 15600-39100+ 5400 के पद पर कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव	संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर	प्रतिष्ठित, अनुभवी, ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय संस्थान में प्रशिक्षण देने/ परियोजना कार्यान्वयन एवं तैयार करने का कम से कम 4 वर्ष का कार्य अनुभव

पद	मार्गदर्शिका के अनुरूप		प्रस्तावित छूट	
	अहर्ता	अनुशंसित अनुभव	अहर्ता	अनुशंसित अनुभव
II परियोजना निदेशक	कृषि/कृषि संबंद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर	वेतनमान 15600-39100+ 5400 के पद पर कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव	कृषि/कृषि संबंद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर	प्रतिष्ठित, अनुभवी, ख्याती प्राप्त सरकारी/गैरसरकारी संस्थान के कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 4 वर्ष का अनुभव
III उप परियोजना निदेशक	अनुसंधान के साथ कृषि/कृषि संबंद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर	वेतनमान 9300-34800+ 4200 के पद पर कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव	अनुसंधान के साथ कृषि/कृषि संबंद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर	प्रतिष्ठित, अनुभवी, ख्याती प्राप्त सरकारी/गैरसरकारी संस्थान के कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव
IV प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक (बी.टी.एम.)	स्नातक/ स्नातकोत्तर कृषि एवं कृषि से संबंद्ध क्षेत्र कम्प्यूटर जानकारी के साथ	2 वर्ष का कृषि संबंधी गतिविधियों में कार्य अनुभव	स्नातक/ स्नातकोत्तर कृषि एवं कृषि से संबंद्ध क्षेत्र कम्प्यूटर जानकारी के साथ	कृषि संबंधी गतिविधियों में कार्य करने की जानकारी, स्नात्तकोत्तर डिग्रीधारी को प्राथमिकता।

उपरोक्त अंकित प्रस्ताव पर आई०डी०डब्ल्यू०जी० के द्वारा राज्य में कार्यान्वन हेतु पुनरीक्षित आत्मा स्कीम, 2010 को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-04 : सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फोर एक्सटेंशन रिफोर्म्स में पूर्व से कार्यरत उप परियोजना निदेशक, आत्मा के छः माह के लिए एक मुश्त मासिक परिलब्धि की राशि में बढ़ोतरी करने के संबंध में।

विदित हो कि पुनरीक्षित आत्मा स्कीम, 2010 के तहत प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक (प्रखण्ड स्तरीय) के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मुश्त मासिक परिलब्धि रू. 20000/- भुगतान करने का प्रावधान है।

झारखण्ड राज्य में एक्सटेंशन रिफोर्म्स परियोजना अन्तर्गत आई. डी.डब्ल्यू.जी. की चौथी बैठक में स्वीकृत पद उप परियोजना निदेशक, आत्मा के विरूद्ध आत्मा जिलों में पूर्व से कार्यरत उप परियोजना निदेशक, आत्मा के संतोषप्रद कार्य को देखते हुए जिला स्तर पर उप परियोजना निदेशक, आत्मा के छः माह के लिए मासिक परिलब्धि की राशि में बढ़ोत्तरी करते हुए रू. 22000.00 (बाईस हजार रूपये मात्र) करने की स्वीकृति आई०डी०डब्ल्यू०जी० माननीय सदस्यों द्वारा **प्रदान की गयी**, जबतक कि Revised आत्मा स्कीम, 2010 के तहत विधिवत अनुबंध पर चयन कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या–05 : मुख्यालय कोषांग, समेति, झारखण्ड तथा आत्मा जिलों हेतु सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के संबंध में।

एन०ए०टी०पी० परियोजना के आधार पर मुख्यालय कोषांग, समेति एवं आत्मा के लिए सृजित पदों की सूची संलग्न है। आई०डी०डब्ल्यू०जी० चौथी बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नवत् अनुबंध के आधार पर राज्य सहाय्य अनुदान पर कार्यरत कर्मचारी/पदाधिकारियों का पुनरीक्षित आत्मा स्कीम, 2010 के दौरान सेवा ली जानी है:

राज्यस्तरीय संस्थानों में कार्यबल	पूर्व से कार्यरत पद		वर्त्तमान में प्रस्तावित पद		अभियुक्ति
	पदों की संख्या	कुल पद	पदों की संख्या	कुल पद	
मुख्यालय कोषांग					
लेखापाल–सह–लिपिक	01	01	01	01	राज्य संपोषित
कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	01	01	01	राज्य संपोषित
आदेशपाल	01	01	01	01	राज्य संपोषित
समेति, झारखण्ड राँची					
संकाय सदस्य	02	02	02	02	योजना मद
लेखा पदाधिकारी	01	01	01	01	राज्य संपोषित
कार्यक्रम पदाधिकारी	01	01	01	01	राज्य संपोषित
कम्प्यूटर आपरेटर–सह–लिपिक	01	01	01	01	योजना मद
आई०टी० फेसिलिटेटर			02	02	राज्य संपोषित
हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर			01	01	राज्य संपोषित
लेखापाल	01	01	01	01	योजना मद
स्थापना लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर			01	01	राज्य संपोषित
लाईब्रेरियन			01	01	राज्य संपोषित
छायाकार			01	01	राज्य संपोषित
केयर टेकर–सह–कुक	01	01	01	01	राज्य संपोषित
आदेशपाल	02	02	02	02	राज्य संपोषित
रात्रि प्रहरी/सुरक्षा प्रहरी	03	03	03	03	राज्य संपोषित
झाड़ुदार (स्वीपर)	01	01	01	01	राज्य संपोषित
पूर्ववर्ती 8 आत्मा जिलें के लिए					
प्रत्येक आत्मा जिलों में कार्यरत कार्यबल एवं प्रस्तावित कार्यबल					
उप परियोजना निदेशक	1	08	2	16	योजना मद
आई०टी० फेसिलिटेटर	1	2			
लेखापाल–सह–लिपिक	1	8	1	8	योजना मद

राज्यस्तरीय संस्थानों में कार्यबल	पूर्व से कार्यरत पद		वर्त्तमान में प्रस्तावित पद		अभियुक्ति
	पदों की संख्या	कुल पद	पदों की संख्या	कुल पद	
आशुलिपिक			1	8	राज्य संपोषित
कम्प्यूटर आपरेटर–सह–लिपिक	1	8	1	8	योजना मद
अनुसेवक–सह–चौकीदार	2	16	1	8	राज्य संपोषित
नव सृजित 16 शेष आत्मा जिलों में कार्यरत कार्यबल					
प्रत्येक आत्मा जिलों में कार्यरत कार्यबल एवं प्रस्तावित कार्यबल					
उप परियोजना निदेशक	1	16	2	32	योजना मद
लेखापाल–सह–लिपिक	1	16	1	16	योजना मद
कम्प्यूटर आपरेटर–सह–लिपिक	1	16	1	16	योजना मद
आशुलिपिक	1	16	1	16	राज्य संपोषित
अनुसेवक–सह–चौकीदार	1	16	1	16	राज्य संपोषित

इन पदों पर वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में किया जाता रहा है तथा इनकी सेवा पुनरीक्षित आत्मा स्कीम, 2010 के कार्यान्वयन के दौरान भी आवश्यक है।

पुनरीक्षित आत्मा स्कीम, 2010 के सफल कार्यान्वयन हेतु जो पद Modified ATMA Scheme Vide Letter No. 9–4/2008–ए.ई. दिनांकः 16.04.2010 **(अनु.** पृ. 24–11/प.) से अच्छादित है, उनके परिलब्धि का भुगतान अभ्युक्ति कॉलम में वर्णित के अनुसार Scheme मद से प्राप्त राशि से किया जायेगा तथा शेष पद का भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान से किये जाने का प्रस्ताव **पारित किया गया** तथा निदेश दिया गया कि प्रति आत्मा जिले में 2 अनुसेवक–सह–चौकीदार के स्थान पर एक से कार्य लिया जाय एवं एक को पदमुक्त करने के लिए विशेष रूप से पत्र लिखा जाय।

प्रस्ताव संख्या–06 : वित्त विभाग के संकल्प संख्याः 965 दिनांकः 25.03.2009 के अनुरूप आत्मा स्कीम के तहत राज्य अनुदान से कार्यरत कर्मियों को संविदा राशि भुगतान करने के संबंध में।

आत्मा स्कीम में पूर्व से कार्यरत कर्मियों की मासिक परिलब्धि का भुगतान वित्त विभाग के संकल्प संख्याः 965 दिनांकः 25.03.2009 **(अनु.** पृ. 10/प.) के अनुसार राज्य अनुदान से प्राप्त राशि में से करने के संबंध में आई०डी०डब्ल्यू०जी० के द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस संबंध वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार संचिका को विचारार्थ/आदेशार्थ हेतु अध्यक्ष के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–07 : **परियोजना निदेशक, आत्मा तथा प्रखण्ड प्रौद्योगिकी प्रबंधक (BTM) को वित्तीय शक्ति प्रदान करने के संबंध में।**

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (ATMA) के सफल कार्यान्वयन हेतु पूर्व के आई.डी.डब्ल्यू.जी. के चौथी बैठक के प्रस्ताव संख्या 04 में लिए गये निर्णय के आलोक में कार्यालय आदेश संख्याः 175 दिनांकः 15.07.2006 **(अनु0** पृ. 09–07/प.) के द्वारा परियोजना निदेशक, आत्मा को रू. 50000/– तक की राशि की वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गयी थी।

जिले में कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए परियोजना निदेशक, आत्मा तथा प्रखण्ड प्रौद्योगिकी प्रबंधन (BTM) को निम्नवत् वित्तीय शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया :

क्रं.सं.	**पद का नाम**	**वित्तीय शक्ति**	**अभ्युक्ति**
1.	परियोजना निदेशक, आत्मा	500000.00	सरकारी पदाधिकारी जो परियोजना निदेशक के प्रभार में है।
	परियोजना निदेशक, आत्मा	500000.00	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, आत्मा एवं अनुबंध पर नियुक्त कर्मी के संयुक्त हस्ताक्षर पर
2.	प्रखण्ड प्रौद्योगिकी प्रबंधक	5000.00	प्रखण्ड तकनीकी दल के संयोजक एवं अनुबंध पर नियुक्त कर्मी के संयुक्त हस्ताक्षर पर

उपरोक्त प्रस्ताव पर आई०डी०डब्ल्यू०जी० के द्वारा **स्वीकृति प्रदान** की गयी।

प्रस्ताव संख्या–08 : **इन्टरकॉम सेवा को सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में।**

राज्यस्तरीय कृषि प्रबंधन, प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (समेति), झारखण्ड पूर्व से निदेशक समेति कार्यालय से समेति सभाकक्ष, समेति, अतिथिगृह, कृषि निदेशक, निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में इन्टरकॉम सेवा उपयोग में लायी जा रही थी, परन्तु विगत वर्षो से यह सेवा तकनीकी कारणों से बाधित है, इन्टरकॉम सेवा ठीक हो जाने से कृषि भवन प्रांगण में कार्यरत सभी निदेशालय से सुलभ सूचना का आदान–प्रदान किया जा सकेगा।

आई०डी०डब्ल्यू०जी० के द्वारा इन्टरकॉम सेवा का सुदृढ़ीकरण करने हेतु **प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।**

प्रस्ताव संख्या-09 : परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक, प्रखण्ड तकनीकी मैनेजर सभी को क्लोज यूजर मोबाईल प्रदान करने की अनुशंसा करने के संबंध में।

एक्सटेंशन रिफोर्म्स परियोजना के तहत परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक, प्रखण्ड तकनीकी मैनेजर, अन्य जिलास्तरीय, राज्यस्तरीय पदाधिकारी सभी को क्लोज यूजर मोबाईल प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि जिले एवं प्रखण्ड स्तर पर कार्यान्वित गतिविधियों का यथास्थिति से तत्काल अवगत एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके तथा निदेशालय से सुलभ सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके। आई०डी०डब्ल्यू०जी० के द्वारा आई0के0एस0एल0 प्रदान करने की अनुशंसा की गयी तथा निदेश दिया गया कि प्रति माह परियोजना निदेशक-500 रूपये, उप परियोजना निदेशक-300 रूपये, प्रखण्ड तकनीकी मैनेजर-200 रूपये, विषय वस्तु विशेषज्ञ-100 रूपये तथा राज्यस्तरीय पदाधिकारी यथाः राज्य समन्वयक एवं उपनिदेशक/संकाय सदस्य, समेति को 500 रूपये अधिकतम राशि की रिचार्ज सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सकती है।

इसके लिए राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रशासनिक मद से किये जाने की अनुशंसा गयी।

प्रस्ताव संख्या-10 : इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के प्रस्ताव के संबंध में।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों के लिए 19 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। संशोधित आत्मा, स्कीम, 2010-11 के Cafeteria of Activities में A-2 अन्तर्गत IGNOU के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किये जाने का प्रावधान है।

उक्त आलोक में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का पत्रांकः F.No./IGNOU/SoA/4524 दिनांकः 22.10.2010 (अनु0 पृ 06-03/प0) के द्वारा झारखण्ड राज्य में कार्यान्वयन हेतु समेति, झारखण्ड को Study Centre एवं 4 जिले में निम्नवत् Programme Study Centre रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है :

क्र.सं.	जिला का नाम	Programme Study Centre का स्थान	पाठ्यक्रम का नाम
1.	समेति, झारखण्ड	समेति कार्यालय	Post Graduate Diploma on Agriculture Policy
2.	राँची	आत्मा, राँची	Certificate in Organic Farming (COF)
3.	पूर्वी सिंहभूम	आत्मा, पूर्वी सिंहभूम	Awareness Programme on Value Added Products from Fruits & Vegetables

क्र.सं.	जिला का नाम	Programme Study Centre का स्थान	पाठ्यक्रम का नाम
4.	पलामू	आत्मा, पलामू	Certificate in Beekeeping
5.	बोकारो	आत्मा, बोकारो	Certificate in Poultry Farming (CPF)

गव्य विकास विभाग, मत्स्य विभाग एवं भूमि संरक्षण विभाग से निम्न प्रकार प्रस्ताव प्राप्त है :

क्र. सं.	विभाग का नाम	Programme Study Centre का स्थान	पाठ्यक्रम का नाम	क्षमता
1.	गव्य विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।	किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची	Diploma in Dairy Technology (DDT)	
		किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची	Awareness Programme on Dairy Farming for Rural Farmers	
2.	मत्स्य विभाग, झारखण्ड, राँची।	किसान प्रशिक्षण केन्द्र, धुर्वा, राँची	Diploma in Fish Products Technology (DFPT)	
3.	भूमि संरक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची।	भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, डेमोटाड़, हजारीबाग	Diploma in Watershed Management (DWM)	50
		राज्य स्तरीय जलछाजन प्रशिक्षण केन्द्र, नगड़ी, राँची।	”	50
		महिला जलछाजन प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग	”	40

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्य{म को आई०डी०डब्ल्यू०जी० के द्वारा पायलट टेस्टींग के रूप में कार्यान्वित कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–11 : **समेति कार्यालय का प्रशासनिक भवन, हॉस्टल, सभाकक्ष का निर्माण एवं अन्य का सुदृढ़ीकरण तथा प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची में समेति कार्यालय को स्थानान्तरित करने के संबंध में।**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के राज्यस्तरीय स्वीकृति समिति की 16.06.2010 के बैठक में प्रस्ताव संख्याः 35 के निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में कार्यान्वयन हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक : F No. 1-20/2010-RKVY दिनांकः 12.08.2010 के द्वारा समेति, झारखण्ड के आधारभूत संरचना का विकास हेतु ` 195.00 लाख में वर्ष 2010–11 हेतु 136.50 लाख तथा 2011–12 हेतु 58.50 लाख, समेति कार्यालय का प्रशासनिक

भवन, हॉस्टल, सभाकक्ष के निर्माण हेतु रू. 195.00 लाख का अनुमोदन प्राप्त है।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के विस्तार ईकाई के द्वारा समेति के सुदृढ़ीकरण मद हेतु वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में क्रमशः 50+50 लाख का स्वीकृति प्राप्त है, जिसके आलोक में वर्ष 2010-11 का रू. 50.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष में समेति कार्यालय को प्राप्त है। उक्त मद में वर्तमान में 195+100=295.00 लाख रूपये का वित्तीय अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आई०डी०डब्ल्यू०जी० के द्वारा समेति कार्यालय का प्रशासनिक भवन, हॉस्टल, सभाकक्ष के निर्माण एवं अन्य सुदृढ़ीकरण के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा समेति कार्यालय को प्रसार प्रशिक्षण संस्थान, हेहल परिसर में स्थानान्तरित करने की अनुशंसा की गई।

प्रस्ताव संख्या-12 : चार्टर्ड एकाउण्टेंट से समेति, राज्य नोडल कोषांग एवं आत्मा के अंकेक्षण कराने के संबंध में।

समेति, राज्य नोडल कोषांग एवं आत्मा कार्यालय में संधारित लेखा को नाबार्ड द्वारा सूचीवद्ध/राज्य सरकार द्वारा सूचीवद्ध किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट से अंकेक्षण (**अनु.** पृ. 2/प.) का कार्य कराने की अनुमति आई०डी०डब्ल्यू०जी० के द्वारा प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-13 : कृषकों के सफलता की कहानी एवं कृषक संदेश तथा अन्य प्रकाशन में बाह्य-स्रोत से सहयोग लेने के संबंध में।

समेति, झारखण्ड द्वारा कृषि प्रसार प्रबंधन के क्षेत्र में कृषकों एवं पदाधिकारियों/कर्मियों के क्षमता विकास हेतु विभिन्न विषयों पर अबतक 79 प्रकाशनों का प्रकाशन किया जा चुका है।

विगत एक वर्ष से सम्पादन के क्षेत्र में संस्थान में मानवबल के कमी के कारण इस क्षेत्र में कठिनाई आ रही है।

विदित हो कि बमेति, पटना, बिहार के द्वारा बाह्य-स्रोत से कार्य लेने हेतु 3000/- रूपये राशि के भुगतान पर प्रति आत्मा संदेश के प्रकाशन का कार्य लिया जाता है (**अनु.** पृ. 1/प.)।

समेति, झारखण्ड में भी इसी तर्ज से कार्य लेने हेतु आई०डी०डब्ल्यू०जी० के द्वारा प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या-14 : Audio/Video के निर्माण हेतु बाह्य-स्रोत से सहयोग लेने के संबंध में।

समेति, झारखण्ड द्वारा कृषि प्रसार प्रबंधन के क्षेत्र में कृषकों एवं पदाधिकारियों/कर्मियों के क्षमता विकास हेतु विभिन्न तरह के प्रशिक्षण/कार्यशाला/परिभ्रमण आदि का कार्य किया जाता है।

उक्त कार्यो के सम्पादन के क्षेत्र में संस्थान में मानवबल की कमी के कारण इस क्षेत्र में कठिनाई आ रही है, जिसे दूर करने के

लिए एक मुश्त परिलब्धि आवश्यकतानुसार बाह्य-स्रोत से कार्य लेने हेतु आई०डी०डब्ल्यू०जी० के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निदेश दिया गया कि साधना टी.वी./न्यूज-11/ताजा टी.वी. एवं अन्य इच्छुक चैनलों से समन्वय स्थापित कर बैठक आयोजित की जाय।

प्रस्ताव संख्या-15 : अन्यान्य प्रस्ताव :

मानननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य प्रस्ताव विचारार्थ लाया जा सकता है।

अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

16.07.11

अध्यक्ष (आई०डी०डब्ल्यू०जी०)
-सह-
सचिव,
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः के0प्रा0–ई0आर0/समेति/132/10-11/298........ राँची, दिनांकः 19/07/11

प्रतिलिपिः भारत सरकार के सचिव (कृषि)/संयुक्त सचिव (कृषि)/संयुक्त निदेशक (विस्तार), कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली/ महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–30 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/2011

स्टेट नोडल पदाधिकारी
एक्सटेंशन रिफोर्म्स, झारखण्ड।

पत्रांकः के0प्रा0–ई0आर0/समेति/132/10-11/298...... राँची, दिनांकः 19/07/11

प्रतिलिपिः झारखण्ड सरकार के वित्त आयुक्त, वित्त विभाग/सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग /सचिव, उद्योग विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग /सचिव, कल्याण विभाग/निदेशक, पंचायती राज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/2011

स्टेट नोडल पदाधिकारी
एक्सटेंशन रिफोर्म्स, झारखण्ड।

पत्रांकः के0प्रा0–ई0आर0/समेति/132/10-11/298........ राँची, दिनांकः 19/07/11

प्रतिलिपिः कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची/अधिष्ठाता (कृषि), बी०ए०यू०, राँची/निदेशक, प्रसार शिक्षा, बी०ए०यू०, राँची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची/निदेशक, समेति, झारखण्ड/ निदेशक, भूमि सरंक्षण/निदेशक, उद्यान/स्टेट मिशन डायरेक्टर, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन, राँची/संयुक्त कृषि निदेशक (राँची/दुमका/हजारीबाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/2011

स्टेट नोडल पदाधिकारी
एक्सटेंशन रिफोर्म्स, झारखण्ड।

पत्रांकः के0प्रा0–ई0आर0/समेति/132/10-11/298........ राँची, दिनांकः 19/07/11

प्रतिलिपिः सभी संबंधित आत्मा जिलों के उपायुक्त एवं अध्यक्ष (आत्मा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/2011

स्टेट नोडल पदाधिकारी
एक्सटेंशन रिफोर्म्स, झारखण्ड।

पत्रांकः के0प्रा0–ई0आर0/समेति/132/10-11/298....... राँची, दिनांकः 19/07/11

प्रतिलिपिः सभी आत्मा जिलों के परियोजना निदेशक, आत्मा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/2011

स्टेट नोडल पदाधिकारी
एक्सटेंशन रिफोर्म्स, झारखण्ड।